प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 03.06.2022

दिनांक 29.05.2022 को थानाक्षेत्र अंतू के ग्राम बहेलियापुर में पैमाइश के दौरान दो पक्षों में लाठी–डण्डों से हुई मारपीट व मारपीट में घायल एक 65 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की घटना से सम्बन्धित 03 और अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31.05.2022 को उक्त घटना के मुख्य आरोपी जगदेव उर्फ बुधई की हो चुकी है गिरफ्तारी (थाना अंतू)

दिनांक 29.05.2022 को थानाक्षेत्र अंतू के ग्राम बहेलियापुर में पैमाइश के दौरान दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना में एक व्यक्ति बृजलाल (उम्र लगभग 65 वर्ष) पुत्र स्व0 नन्हकू नि0 बहेलियापुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ की मृत्यु हो गयी थी। इस सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना अंतू में मु0अ0सं0– 277/2022 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, 302, 120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग की विवेचना/कार्यवाही के क्रम में दिनांक 31.05.2022 को उक्त घटना के मुख्य आरोपी जगदेव उर्फ बुधई को थाना अंतू पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। घटना से जुड़े अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में थाना अंतू थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्त, 01. विजय कुमार व अंकित कुमार उर्फ अंतिम पुत्रगण जगदेव वर्मा एवं 03. सुनील कुमार पुत्र राम सजीवन निवासीगण बहेलियापुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के ककरहा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. विजय कुमार पुत्र जगदेव वर्मा नि0 बहेलियापुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।
02. अंकित कुमार उर्फ अंतिम पुत्र जगदेव वर्मा नि0 बहेलियापुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।
03. सुनील कुमार पुत्र रामसजीवन नि0 बहेलियापुर थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम– थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह, आरक्षी शिवशंकर यादव, आरक्षी त्रिभुवन प्रसाद व आरक्षी अक्षय चौधरी थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

01 अवैध तमंचा, 02 कारतूस व 06 अदद देशी बम के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना पट्टी)

जनपद के थाना पट्टी से प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के बीबीपुर नहर पुलिया के पास से 02 व्यक्ति, 01. राधे गोविन्द पाण्डेय उर्फ बुदाले पुत्र उदयराज पाण्डेय नि0 ग्राम सदहा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ व 02. आशुतोष खरे पुत्र स्व0 गया प्रसाद खरे नि0 रघुनाथपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 06 अदद देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. राधे गोविन्द पाण्डेय उर्फ बुदाले पुत्र उदयराज पाण्डेय नि0 ग्राम सदहा थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

02. आशुतोष खरे पुत्र स्व0 गया प्रसाद खरे नि0 रघुनाथपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी– 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 06 अदद देशी बम।

पंजीकृत अभियोगः–

01. मु0अ0सं0– 155/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त राधे गोविन्द पाण्डेय उपरोक्त।
02. मु0अ0सं0– 156/2022 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम अभियुक्त राधे गोविन्द पाण्डेय उपरोक्त।
03. मु0अ0सं0– 157/2022 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम बनाम अभियुक्त आशुतोष खरे उपरोक्त।

पुलिस टीम– प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह मय हमराह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना नवाबगंज)

जनपद के थाना नवाबगंज के उ0नि0 श्री बलवन्त सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त / चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0नं0– 713/08 धारा 506 भादवि से संबंधित वारंटी अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रामबहादुर सिंह नि0 जनवामऊ थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के परियावां के पास से गिरफ्तार किया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना बाघराय)

जनपद के थाना बाघराय के उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त / चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0नं0– 53/12 धारा 323, 504, 506, 324, 308 भादवि से संबंधित वारंटी अभियुक्त कड़क द्विवेदी उर्फ राजेन्द्र द्विवेदी पुत्र राम सजीवन नि0 रोज थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।